न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज चन्दर ......बनाम...... दाना मु.नं.– 73/23 किस्म – T.I.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/6/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रा.पत्र T.I. पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र T.I. दिनांक 04.7.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) 04.7.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर बाद के साथ नत्थी हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
73/2023	07.12.2023	04.07.2025

बउनवान

1. चन्दर पुत्र सुखल्या, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

1. दाना पुत्र किरोडी, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. रमेश चन्द पुत्र चुन्नीलाल, निवासी नांदरी, तहसील सिकराय, जिला दौसा।
3. सुरेश चन्द पुत्र चुन्नीलाल, निवासी नांदरी, तहसील सिकराय, जिला दौसा।
4. गोकल पुत्र हरिया, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
5. छोटी पुत्री कन्हैया, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
6. पून्या पुत्र कन्हैया, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
7. फूलसिंह पुत्र हरिया, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
8. मूल्या पुत्र कन्हैया, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
9. महेन्द्र पुत्र हरिया, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
10. रामपति पत्नी हरिया, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
11. विमला पुत्री हरिया, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
12. सोमोत्या पुत्र वंशी, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
13. उपपंजीयन अधिकारी, बैजूपाडा।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री लक्ष्मीनारायण मीना।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की भूमि विवादित आराजीयात खेवट खतौनी संख्या नई 551 पुरानी 338 के खसरा सं. 1955 रकवा 0.33 हैक्टे., 1956 रकबा 0.43 हैक्टे., 1958 रकबा 0.47 हैक्टे., 1959 रकबा 0.53 हैक्टे. कुल किता 04, कुल रकबा 1.76 हैक्टे. वाके ग्राम हिंगोटा, पटवार हल्का बावडीखेडा, तहसील बैजूपाडा में स्थित है। विवादित आराजीयात से अप्रार्थी सं. 1 का किसी प्रकार का कोई लेना देना सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। विवादित आराजीयात में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा है। विवादित आराजीयात को पक्षकारान ने मौके पर अपनी सुविधा अनुसार बांट रखा है। प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है लेकिन विवादित आराजीयात का अभी तक विधिवत तकासमा नहीं हुआ है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

पक्षकारान में भूमि मे फसल बोते समय व काटते समय विवाद होता है तथा कोई भी पक्ष राज्य सरकार व भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली कृषि सहायता भी बिना एक दूसरे की सहमति के प्राप्त नहीं कर सकता है। भूमि बॉदीकुई मण्डावर पुख्ता सडक के लगती हुयी है तथा अप्रार्थी सं. 1 अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 से मिली भगत प्रार्थी की जो भूमि सडक के लगती हुयी भूमि है, बेदखल करने की नीयत से भूमि का बिना विधिवत तकास्मा करवाये ही अब भूमि में खाम व पुख्ता निर्माण करके दीगर लोगों को बेचान करने पर आमादा है। अप्रार्थी सं. 4 लगायत 12 को अप्रार्थी सं. 1 ने बरगला रखा है जो येनकेन प्रकारेण प्रार्थी की सडक के लगती हुयी भूमि पर जबरन नाजायज कब्जा करके कृषि भूमि को अकृषि में तब्दील करने पर आमादा है तथा ऐलानियां धमकी दे रहे है कि हम प्रार्थी को उनकी भूमि जो सडक के लगती हुयी है, से बेदखल करके अपना नाजायज कब्जा करके पुख्ता निर्माण करके दीगर लोगो को बेचकर रहेगे जो कि लाठी के बल पर भूमि पर अपना नाजायज जबरिया कब्जा कर लेंगे तथा प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि पर काश्त भी नही करने देगे। दिनांक 25.10.2023 को प्रार्थी अपने हक हिस्से व अधिकार की भूमि की साफ–सफाई करने गया तो अप्रार्थी सं. 1 ल. 12 विवादित आराजीयात पर काफी लोगो लेकर भूमि पर आ गये तथा प्रार्थी के हक हिस्से कब्जे काश्त की भूमि को जबरन कब्जा करने की नीयत से आमादा हो गये। प्रार्थी ने मना किया तो अप्रार्थी आमादा फिसाद हो गये। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 2 ल. 12 से कहा कि पहले भूमि का सहमति के आधार पर तकास्मा करवाकर अलग–अलग खाते कायम करवालो तो अप्रार्थी ने तकास्मा करवाने से साफ मना कर दिया व कहा कि हम तो बिना तकास्मा करवाये ही प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर लाठी के जोर पर निर्माण करके रहेगे व दीगर लोगो को बेचान करके रहेगे तथा प्रार्थी को उसके हक हिस्से व अधिकारात की भूमि से बेदखल करके अपना नाजायज कब्जा करके रहेगे तथा काश्त नही करने देगे। यदि अप्रार्थी अपने नाजायज मकसद की पूर्ति में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को नुकसान अजीम नाकाबिले तायुन व तखमीना होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर सम्भव नहीं हो सकेगी व गैर जरूरी किस्म के मुकदमात दरम्यान फरीकन चल पड़ेगे जो बाय से बरबादी प्रार्थी होगी। ऐसी सूरत मे सिवाय प्रार्थना पत्र के और कोई चारा नजर नही आया इस कारण प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति का सिद्वान्त प्रार्थी के हक में बखूबी साबित है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण कों जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबंद फरमाया जावे कि विवादित आराजीयात को अप्रार्थीगण स्वयं या अपने एजेन्टो नौकरो घरवालो या अन्य मददगारान के, विवादित आराजीयात का जब तक विधिवत सरस नरस के अनुसार प्रार्थी के हिस्से का तकास्मा होकर अलग–अलग खाते कायम न हो जावे, जब तक किसी दीगर सख्स को रहन बय हस्तान्तरित करने से, खाम या पुख्ता निर्माण करने से, प्रार्थी की भूमि पर अपना नाजायज जबरिया कब्जा करने से, प्रार्थी के उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा करने से किसी भी प्रकार का झगडा फिसाद करने से, पेड पोधो को काटने से खोदने से, पाबंद रहे, किसान क्रेडिट कार्ड आदि बनवाने एव अप्रार्थी सं. 13 अप्रार्थी बहैसियत उपपंजीयन अधिकारी अप्रार्थी के द्वारा भूमि की बाबत पेश किये जानें वाले किसी भी रहननामा व बयनामा आदि को पंजीकृत करने से, अप्रार्थी सं. 14 बहैसियत भूमिधारी राजस्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार की तब्दीली करने से पाबंद रहे। विवादित आराजीयात की मौके की व राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे ।

2. प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। प्रार्थी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध रजिस्टर्ड एडी नोटिस तामिल किये जाने की शर्त पर इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि उभय पक्ष ग्राम हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 1955, 1956, 1958, 1959 के राजस्व रिकॉर्ड तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

3. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 1 लगायत 14 ने न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर इनके जवाब का अवसर किया गया।

4. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का, एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसें नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र तकास्मा तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार, विवादित आराजीयात के प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण 2 लगायत 12 दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है। इस कारण प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में है। विवादित आराजीयात का वाद के

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

लम्बित रहने की अवधि के दौरान, यदि अप्रार्थीगण के द्वारा दीगर व्यक्तियों को बेचान कर दिया जाता है तो प्रार्थी के अधिकार पर विपरीत प्रभाव होगा तथा इससे वाद बहुलता में व मौके पर विवाद में बढ़ोत्तरी होगी। इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है। आराजीयात के मौके की वर्तमान स्थिति में यदि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार से बदलाव किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक विवादित आराजीयात को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

6. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम हिंगोटा, पटवार हल्का बावडीखेडा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खाता संख्या 551 के खसरा सं. 1955, 1956, 1958, 1959 के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 07.12.2023 को, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णीत होने तक, संपुष्ट (Confirm) किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात के वर्तमान मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे। साथ ही प्रार्थी के हिस्से में कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रुकावट, मजहमत, मदाखलत नहीं करेंगे, प्रार्थी को शांतिपूर्वक काश्त करने से नहीं रोकेगें एवं उक्त भूमि को किसी दीगर व्यक्तियों को बेचान नहीं करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

7. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 04.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)